

19/12/16 बार एसोसियेशन नसीराबाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 29/12/16 को पेश हो।
1.12.16
आदेशानुसार

1-12-16 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय के बाहर दौरे/अवकाश पर होने के कारण आज के प्रकरणों में तारीख तब्दील की जाती है। मूलाविक आम सूचना के मिसल दिनांक 29/12/16 को पूर्व आदेश की पालन में पेश है।

रीडर
अदालत अधिकारी, नसीराबाद

आदेशानुसार
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

20.1.17 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 23.1.17 को पेश हो।
23/1/17
आदेशानुसार
रीडर

बार एसोसियेशन नसीराबाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 18/5/17 को पेश हो।
आदेशानुसार
रीडर

शिवराज कश्यप

परवाण्ड

न्याय आपके द्वार अभियान - 2017
लोक अदालत

3/16.5.17

पत्रावली कोच कोर्ट तिहारी में पेश हुये। वादी व जजिवादी स्वयं व कोच के अधिवक्ता उपस्थित उपपलव के राफिसावा वा निवेदन किया कि आज तिहारी के ख न 317 खका 0111 मिसल के प्र. कोच पर कोच पल एक सुन्दर दुखरे के किनाई अधिका के कोच लखवापि नही करेगे। पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने उपपलव वाद पेश कर निवेदन किया कि आज तिहारी के ख न 317 कोच के वादी सुन्दर दिहारी के कोच लखवापि की किनाई करते है किउ उपविवादी दारुला 1 वादी के किनाई अधिका के लखवापि डाल रहा है। अला. जजिवादी दारुला 2 को पाठ्य किनाजेपे

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कोच कोर्ट : तिहारी

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत मुकाम
..... बनाम
किस्म मुकदमा नं सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>बन्दी व उत्तरवादी ने इतिहास ही का जिक्र किया है वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ शोधका में आवधान रही इतिहास विवादात्मक बाद बादी, उत्तरवादी व अन्य व्यक्तियों की एक जवाबदारी है कि जिसका जिक्र या हम व अधिकार निहित है। अतः अहकाम में विवाद बादी व उत्तरवादी के बीच है। इसका लक्ष्य आवधान का शोधका अपना जवाबदारी का है।</p> <p>अतः जज जवाबदारी के ख. नं 317 अनुबन्ध 0111 अतः जज प्र. नं 114 का बादी का कार "रानीका" किया जाता है। राजीनामा अनुबन्ध बादी व उत्तरवादी जे. नं 1, दोनों का जज जवाबदारी निषेधात्मक पांव का जाना है कि इसका लक्ष्य जिनके के लिए एक दूसरे के अधिकार में बाधा उत्पन्न-इतिहास पक्षका स्वकी स्वयं वध करे इस अहकाम की पुनः जारी जारी हो पत्रावली मुद्रित पाठासन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट</p>	

ल
हो

रानी

रानी का

रानी

रानी

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20

शुभ हो वह नब्बल के रूप हो व अंतराल
दस्ता है)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट :: 

20.1
पीठ
द्वारे
व्यस
पाल

श्री
परगा
17

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

न्याय आपके द्वार 2017
कैम्प कार्ट :- ग्राम पंचायत तिहारी

डिक्री व मुकदमें इत्दाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

चरण सिंह बनाम शिवराज

दावा बाबत :- 92ए., 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 70/2016
पेश करने की दिनांक - 6.4.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू सुश्री श्वेता कोचर (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई प्रतिवादी स्वयं व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 317 रकबा 0.11 किस्म गै0मु0 चाह पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। राजीनामे अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि उक्त चाह से सिचाई के लिये एक दूसरे के अधिकार में बाधा उत्पन्न नहीं करेगे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 16 माह मई सन् 2017 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला


स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
दावात इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
दावात इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान




उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद